कार्यालय परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या– 2403/एसटीए/2016 लखनऊ:दिनांक 20 दिसम्बर,2016

सेवा में,

1– अपर परिवहन आयुक्त (पूर्वी/मध्य/पश्चिमी), उत्तर प्रदेश।
2– समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), उत्तर प्रदेश।
3– समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश।
5– समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशा0), उ0प्र0।
6– समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), उ0प्र0।
7– समस्त संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक), उत्तर प्रदेश।

महोदय,

कृपया कार्यालय के पत्र संख्या 2210एसटीए/2016–11एसटीए/2014 दिनांक 16/11/2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश दिनांक 20.07.2016 के क्रम में एनसीआर जनपदों द्वारा वाहनों की एनओसी जारी किये जाने पर प्रतिबन्ध के दृष्टिगत 37 जनपदों में एनसीआर क्षेत्र के जनपदों में डीजल चलित 10 वर्ष तथा पेट्रोल चलित 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहनों को एनओसी जारी करने हेतु सूचीबद्ध किया गया था तथा निर्देश दिये गये थे कि एनसीआर जनपदों से उपरोक्त प्रकार के वाहनों के लिए निम्न 37 जनपदों को ही जारी किया जाए और तदनुसार देश के अन्य राज्यों के परिवहन आयुक्तों को भी उपरोक्तानुसार ही अपने राज्यों के पंजीयन प्राधिकारियों से एनओसी जारी करने का अनुरोध किया गया था जिसकी एक प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की गयी थी। एनओसी जारी करने हेतु चिन्हित जनपदों का विवरण उपरोक्त पत्र के अनुसार निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	जनपद का नाम	क्र0सं0	जनपद का नाम	क्र0 सं0	जनपद का नाम	क्र0 सं0	जनपद का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हाथरस	10	कन्नौज	19	श्रावस्ती	28	बहराइच
2	इटावा	11	बलिया	20	औरैया	29	उरई
3	आजमगढ़	12	सुल्तानपुर	21	फतेहपुर	30	एटा
4	बस्ती	13	गाजीपुर	22	पीलीभीत	31	कासगंज
5	संतकबीरनगर	14	गोण्डा	23	शाहजहांपुर	32	महोबा
6	अम्बेडकरनगर	15	मैनपुर	24	लखीमपुर	33	ललितपुर
7	कुशीनगर	16	प्रतापगढ	25	बदायुं	34	बंदा
8	फर्रुखाबाद	17	सिद्धार्थनगर	26	बलरामपुर	35	चित्रकूट
9	जौनपुर	18	महाराजगंज	27	हरदोई	36	हमीरपुर
						37	अमेठी

2– संभागीय परिवहन अधिकारी, मुरादाबाद के पत्र 1754/सा0प्र0/प्रदूषण/बिजनौर/2016 दिनांक 30.11.2016 कि साथ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी बिजनौर का पत्र दिनांक 29.11.2016 संलग्न कर प्रेषित किया गया है। एनसीआर जनपदों के अतिरिक्त शेष संभागीय मुख्यालयों के जनपद, संभागीय मुख्यालयों के नजदीक स्थित जनपद, ऐसे जनपद जहां संभागीय मुख्यालय नहीं हैं परन्तु सीएनजी उपलब्ध है एवं शामली के अतिरिक्त शेष जनपदों के लिए ही

उपरोक्तानुसार एनओसी जारी करने हेतु अनुमन्य किया जाय। उपरोक्त के दृष्टिगत ऐसे जनपदों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	जनपद का नाम	क्र0 सं0	जनपद का नाम	क्र0 सं0	जनपद का नाम	क्र0 सं0	जनपद का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मथुरा	10	बलिया	19	सोनभद्र	28	उरई
2	इटावा	11	सुल्तानपुर	20	फतेहपुर	29	एटा
3	बिजनौर	12	गाजीपुर	21	पीलीभीत	30	काशीरामनगर
4	संतकबीरनगर	13	मैनपुरी	22	शाहजहांपुर	31	महोबा
5	अम्बेडकरनगर	14	प्रतापगढ	23	लखीमपुर	32	ललितपुर
6	कुशीनगर	15	सिद्धार्थनगर	24	बदायुं	33	चित्रकूट
7	फर्रुखाबाद	16	महाराजगंज	25	बलरामपुर	34	हमीरपुर
8	जौनपुर	17	श्रावस्ती	26	हरदोई	35	अमेठी
9	कन्नौज	18	औरेया	27	बहराइच		

3- यह भी मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि यदि प्रतिबंधित जनपदों से 10/15 वर्ष (डीजल/पेट्रोल चलित वाहनों की एनओसी प्रतिबंधित जनपदों में भी जारी किया जा रहा है यदि ऐसा है तो जनपदों पर प्रतिबंध लगाये जाने के औचित्य एवं मंशा के विपरीत है।

4- उपरोक्त के दृष्टिगत इस कार्यालय द्वारा जारी पत्र सं0 2210एसटीए/2016-11एसटीए/2014 दिनांक 16/11/2016 को अतिक्रमित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि इस पत्र के प्रस्तर-2 में दिये गये जनपदों में ही उपरोक्तानुसार एनओसी जारी करने की कार्यवाही की जाय और प्रतिबंधित जनपदों से किसी भी दशा में अन्य दूसरे प्रतिबंधित जनपद हेतु एनओसी जारी न किया जाय।

अतः उपरोक्त विषय से संबंधित इस कार्यालय द्वारा पूर्व प्रेषित पत्र को उपरोक्तानुसार संशोधित किया जाना है और निर्देशित किया जाता है और उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाय।

ह0-

(के0 रविन्द्र नायक)
परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0- (1)एसटीए/2016-समदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-मुख्यालय को समस्त अधिकारियों को (परिवहन आयुक्त को छोड़कर) सूचनार्थ प्रेषित।

2-डी0बी0ए0 मुख्यालय को इस निर्देश के साथ की उपरोक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अविलंब अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(आर0के0मिश्र)
सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।